

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक : 9/उपा0/बीज/अनु0 - 64/2017 7117 /कृ0 पटना दिनांक 01-12-2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा.प्र.सं.
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स पैगिया इन्टरप्राइजेज,
(काशीपुर, उत्तराखंड)
चौहट्टा चौक, हाजीपुर,
जिला- वैशाली

विषय :- बीज बिक्री हेतु नयी बीज अनुज्ञापति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र- 'ए' कोषागार चालान, स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कामजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजे। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जांच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या.....79/2017.....संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि.....30.11.2020.....तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक- 2408 दिनांक- 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0- बीज की सूची एवं प्रपत्र 'बी' संलग्न।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक- 01-12-2017

ज्ञापांक : 7117

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

मेसर्स पैगिया इन्टरप्राइजेज द्वारा राज्य में निम्नलिखित फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जायेगा।

पत्रांक- 7117

दिनांक- 01/12/2017

LIST OF SEEDS

क्र०सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	WHEAT	LOK-1, RR-21, UP-262, PBW-154, PBW-550, PBW-502, PBW-226, PBW-343, PBW-373, HD-2967, HD-2733, UP-2572, UP-2338, HUW-234, K-7903, HALNA, K-9423
2	PADDY	NDR-359, PANT-4, SARJU-52, PR-113, JAYA, HKR-47, SARWATI
3	URD	T-9, PU-31, PU-35
4	MOONG	MUNG PANT-2, PUSA MUNG, PUSA-44, K-851
5	TORIA	PT-303

- कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Handwritten signature
30.11.17

Handwritten signature
दस्तावेज



FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEED

License No Date


Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license मेसर्स पैगिया इन्टरप्राइजेज (काशीपुर, उत्तराखंड) is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business चौहटा चौक, हाजीपुर, जिला- वैशाली the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
चौहटा चौक, हाजीपुर, जिला- वैशाली	चौहटा चौक, हाजीपुर, जिला- वैशाली
पुरब - महेश चौधरी का मकान	पुरब - महेश चौधरी का मकान
पश्चिम - सड़क	पश्चिम - सड़क
दक्षिण - वीरदत्त कुमार का मकान एवं सीढ़ी	दक्षिण - वीरदत्त कुमार का मकान एवं सीढ़ी
उत्तर - वीरदत्त कुमार का मकान	उत्तर - वीरदत्त कुमार का मकान

Date :

Seal :


Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid upto 30.11.2020..... Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

